


अतः उपरोक्त क्रम में, आपके अधीन सभी संवर्गों के कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों के प्रतिवर्ष कार्य एवं मूल्यांकन प्रतिवेदन (A.P.A.R.) के प्रथम पृष्ठ की पूर्ति कार्मिक से करवाते हुए प्रोफॉर्मा में वांछित पूर्तियाँ करते हुए प्रत्येक वर्ष मार्च माह में इस कार्यालय में भिजवाने का श्रम करें। वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में कार्मिकों को जुलाई माह में वेतनवृद्धि का लाभ देय नहीं होगा। 'A.P.A.R.' से सम्बन्धित प्रोफॉर्मा तथा 'A.P.A.R.' अग्रेषित करने हेतु प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक अधिकारी तथा स्वीकारकर्ता अधिकारी के सम्बन्ध में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक संस्था.-2/ 2017/ 1609, दिनांक 17-02-2017 की प्रतियाँ विश्वविद्यालय की वेबसाइट 'www.uniraj.ac.in' से प्राप्त कर वांछित कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा पत्र क्रमांक संस्था.-1/ 2016/ 16939, दिनांक 03-12-2016 के क्रम में ग्रेड पे रुपए 4200/- या अधिक में कार्यरत शिक्षकों/ अधिकारियों/ कार्मिकों को प्रतिवर्ष 31 जनवरी तक अपनी अचल सम्पत्ति का विवरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के यहाँ भिजवायें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय,



(देवेन्द्र कुमार शर्मा)
कुलसचिव

क्रमांक : संस्था.-2/ 2017/ 1897-1902

दिनांक : 22/2/17.....

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर।
2. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त परिपत्र मय संलग्नक को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. निजी सचिव-कुलपति/ कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।


(देवेन्द्र कुमार शर्मा)
कुलसचिव